1622 hrs.

Title: Discussion on the Auroville (Emergency Provisions) Repeal Bill, 2000 .(Bill passed)

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ.मुरली मनोहर जोशी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि ओरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये। "

सभापति महोदय, 1968 में ओरोविल तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में पांडिचेरी के आसपास स्थापित किया गया था। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना महर्षि अरविंद की प्रमुख शिया जिन्हें हम मदर के नाम से जानते हैं, ने की थी। और ओरोविल का चार्टर बहुत महत्वपूर्ण है।

1. Aurorville belongs to nobody in particular, Auroville belongs to humanity as a whole. But to live in Auroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness.
2. Auroville will be the place of unending education of constant progress and a youth that never ages.
3. Auroville wants to be the bridge between the past and the future, taking advantage of all discoveries from without and from within. Auroville will boldly spring towards future realisation.
4. Auroville will be a site of material and the spiritual researches for a living embodiment of an actual human unity.

यह एक ऐसी संस्था थी जिसके कार्यकरण में बहुत सी अनियमिततायें पाई गईं। इसलिये सरकार ने 1980 में उसकी सोसायटी को अधिगृहीत कर लिया और उसके स्थान पर यह अधिनयिम लाकर वहां एक नयी व्यवस्था स्थापित की। 7-8 वर्ा तक उस व्यवस्था ने वहां काम किया और 1988 में ओरोविल के बेहतर प्रबंधन और आगे विकास के लिये ओरोविल प्रतिठान अधिनियम, 1988 द्वारा ओरोविल के उपक्रमों को अधिगृहित कर लिया गया और ओरोविल प्रतिठान में निहित कर दिया गया जिससे 1980 का बिल निरर्थक हो गया। ओरोविल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। उस संस्था के माननीय सदस्य बहुत अच्छे लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। श्री किरीत जोशी इसके अध्यक्ष हैं और डा, डी,पी. चट्टोपाध्याय, डा. सुभाा काश्यप, डा. एल.एम. सिंघवी, मि. रोजर एंगर, श्री जी.एम. देव, श्रीमती ज्योति मधोक इस संस्था के माननीय सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य हैं। 1988 का अधिनियम ठीक ढंग से काम कर रहा है, इसलिये 1980 का विधेयक निरस्त करना सर्वथा आवश्यक है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस अधिनियंम को निरस्त किया जाये।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to repeal the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1998, be taken into consideration. "

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, while I support this Bill, I must tell the hon. Minister that I am from Pondicherry and, therefore, I know that things are going on in the right direction.

When Auroville was set up, I was one of those who participated in the function and I was also the Chief Minister at that time. Therefore, right from its foundation and inception till its growth as well as its present level, I was associated with this.

The idea which the Mother had conceived, is a laudable one.

But to my disappointment, Sir, I could see that there was a fight in-between. We were all disappointed of it. In fact, you know the whole history. I need not tell this to you. There was a fight between the foreigners and the Aurovilleans, foreigners staying in Auroville and our local people who had been heading the whole thing. This had created a big issue and the result was that the Government had to intervene and then pass this law. Ultimately, we all negotiated and wanted to bring forth a settlement between those people, but we could not gain it, we could not gain anything at that level, and the Government had to intervene and this Act was passed. Now, you are thinking of repealing this Act.

The Foundation is doing well. What I would like to ask is why they do not think of developing this idea to all aspects of life in different parts of this country and not in our area only. This idea has to be developed in different parts of this country, having Auroville as the centre of attraction.

Sir, there are a few things on which I would like to have clarification. How much has the Central Government so far spent on this Auroville after taking it over? If the hon. Minister is able to tell it, I will be happy. Otherwise, he can send it to me. I have no objection at all. It has now been changed into a foundation. I am happy that it has been changed into the Foundation. A lot of people who have been connected with it are very renowned people. In his own words, he has accepted it.

I have only one thing to tell him. One mistake which our people are doing is that they are not amalgamating the local people in this big process. This is a big mistake which these people are doing. I have been telling this right from its inception. Can he tell me whether any Pondicherrian has been accommodated in this Foundation so far? Nobody

has been accommodated. It is not that we want to have any share over that, but those people who have got interest over ethics, why do they not think in those directions and then try to do it? This is a small suggestion which I would like to make.

What is most important is that now, they are giving grants and then trying to do things. Tomorrow, if the same process goes on and if the fight continues in those directions as it has continued now - because it has taken a natural course and then, the foundation has come over there - have they got any provision in their Government to control it and then to make it all right? This is the only thing I wanted to ask him. Sir, I would like to tell this to them, and once more to those people who are there. Shri Kireet Joshi is my good friend. Shri Karan Singh has been there. Sir, I am just speaking to you. I have been associated with it. Therefore, I am telling you that it is a laudable thing. I would like this to grow up in the right direction and the things from all over the world should have come over there. Therefore, I would like to see that they associate people of Pondicherry in this organisation, who are also involved in it.

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, हमारे प्राइवेट मैम्बर बिल का क्या होगा। मंत्रीगण तथा अन्य लोग अपना-अपना खत्म करके चले जायेंगे। हमारा तथा सभापति महोदय आपका बिल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तब तक मंत्री लोग बैठे रहेंगे।

सभापति महोदय : प्राइवेट मैम्बर बिल इसके बाद लेंगे। सब लोग बैठे रहेंगे। मंत्री लोग भी बैठे रहेंगे।

श्री रामानन्द सिंह : सभापति महोदय, हमारा बड़ी मुश्किल से बैलट में आता है। हमारा शुरू करवा दें।

MR. CHAIRMAN: After passing the Bill, we are taking the Private Members' Resolutions.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Sir, I rise to support the Auroville (Emergency Provisions) Repeal Bill, 2000. Since the Auroville Foundation was formed into a body corporate, the existing Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980 has become redundant, and that is why this Auroville (Emergency Provisions) Repeal Bill has been brought about by the hon. Minister. This Bill is a necessary one, and I support this Bill.

Auroville Foundation is one of the very prestigious spiritual institutions in Pondicherry, and it is leading the entire country in the spiritual field; it has become a leader globally also.

In my own constituency in Andhra Pradesh, in Tenali, we named a big *varadhi*, a bridge across the River Krishna, as 'Auroville *Varadhi*' because the disciples of that particular Auroville philosophy are there in my area.

As such, since the Auroville Foundation came into existence, it is looking after the total functioning and maintenance of this institution. Therefore, this Auroville (Emergency Provisions) Repeal Bill has become necessitated.

I support the Bill, and I congratulate the hon. Minister for this.

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, जो धनराशि हमने औरोविल फाउंडेशन के लिए पिछले तीन सालों में दी है, उसके आंकड़े तो मैं दे सकता हूं लेकिन उसके पहले की जानकारी चाहिए तो वह मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

1997-98 में हमने प्लान मनी 50 लाख रुपये सैंक्शन किया था लेकिन जो खर्च हुआ, वह 28,80,000 रुपये था। नॉन प्लान में 37 लाख रुपये हमने सैंक्शन किया था और खर्च हुआ 29 लाख रुपये। 1998-99 में प्लान मनी 50 लाख रुपये था जो उनको पूरा रिलीज़ कर दिया गया, और उन्होंने पूरा 50 लाख रुपये खर्च किया। नॉन प्लान 35 लाख रुपये था जिसमें उन्होंने 30,74,868 खर्च किया। 1999-2000 में प्लान में 60 लाख रुपये था और 60 लाख रुपये ही रिलीज़ कर दिया गया था। नान प्लान में 35 लाख रुपये था लेकिन वह खर्च बढ़कर 58 लाख रुपये हुए। 2000-2001 में प्लान का 50 लाख रुपया उनको सैंक्शन करके दिया, खर्च कितना किया वह 31 मार्च को पता चलेगा। नॉन प्लान में रिवाइज़्ड ऐस्टिमेट उनका 62 लाख रुपये है। इस तरह से हम उत्तरोत्तर इस राशि को बढ़ा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि औरोविल लोकल या स्थानीय संस्था नहीं है बल्कि राट्रीय और अंतर्राट्रीय संस्था है और उसका प्रभाव और उसका मॉडल अन्य स्थानों पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। औरोविलो ठीक से चले और उसके बारे में जो पुरानी भ्रांतियां थी, वे दूर हो जाएं और वहां के लोग ठीक ढंग से काम करने लगें, उसके लिए एक इंटरनेशनल एडवाइज़री कमेटी भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष श्री किरीट जोशी हैं। इसके मैम्बर्स के रूप में प्रोफेसर नॉर्मन मेयर्स मिसेज मैरी किंग और डा. ए.टी.आर्यरत्ने हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भी उसमें नामित किया गया था लेकिन उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया है। यह इंटरनेशनल एडवाइज़री कमेटी है जिससे औरोविल की इंटरनेशनल छवि बनी रहे और अंतर्राट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका वह निभाती रहे। स्थानीय लोगों के मामलों को ठीक करने के लिए और प्रबंध ठीक करने के लिए रेजिडेन्ट्स की असेम्बली है। उसकी वर्किंग कमेटी बनाई गई है। उसके सदस्य हैं -- श्री औरोकृपा बोर्ग जिनका जन्म औरोविल में ही हुआ था। जरगेन पुट्ज जर्मनी के हैं। मीता राधाकृणन भारत की हैं। पॉल विन्सेन्ट बैपटिस्टे फ्रांस के हैं और मिस्टर राय च्योट ब्रिटेन के हैं। इस प्रकार विभिन्न राट्र के लोग आकर वहां के प्रबंध में काम कर सकें, उसका अवसर भी दिया गया है। यह कहना कि पांडिचेरी का कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं है, यह बात नहीं है कि पांडिचेरी के लिए हमारे मन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव है बल्कि इसको नेशनल और इंटरनेशनल स्वरूप देना है। पांडिचेरी के आंगन में ही औरोविलो बना हुआ है, सारी पांडिचेरी उसकी देखभाल के लिए उसके साथ असोसियेटेड रहती हैं,

लेकिन उस ओरोविल में और लोगों का भी सहयोग हो। क्योंकि संख्या सीमित है इसलिए पांडिचेरी का कोई सम्मानित व्यक्ति उसमें नहीं आ पाया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके सहयोग में सरकार को किसी प्रकार का गुरेज़ होगा। उनके जितने भी सुझाव होंगे, वह सब हम समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे और समिति से भी यह कहेंगे कि जो भी महानुभाव वहां से उपयोगी हों, उनका सहयोग अवश्य लें, उनको शामिल करें, उनकी राय और शक्तियों का उपयोग करें। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके अतिरिक्त यदि और भी कोई महानुभाव उसमें भाग लेने के लिए तैयार होंगे तो मैं उसके अध्यक्ष श्री किरीट जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सबकी क्षमताओं, योग्यताओं और अनुभव का लाभ उठाएं। सरकार का इरादा यह है कि यह फाउंडेशन अंतर्राट्रीय भाईचारे, मानवता और अध्यात्मिकता का बड़ा केन्द्र बना रहे और इस रूप में इसका विकास हो। इसलिए आपके जितने भी सुझाव होंगे, वह आप प्रस्तुत कर दें, हम उन पर अवश्य कमेटी को विचार और अमल करने के

लिए कहेंगे। मैं समझता हूं कि पुराने 1980 के अधिनियम का निरसन करना बिल्कुल उचित है और सदन उसे पूरे रूप से सहमति दे और इस बिल को निरस्त करे।

MR.CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to repeal the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1 Short Title

संशोघन किया गया:

पृठ 1, पंक्ति 4 --

'2000' के स्थान पर " 2001" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(डॉ.मुरली मनोहर जोशी)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

संशोघन किया गया:

पृठ 1, पंक्ति 1, -

'इक्यावनवें' के स्थान पर

" बावनवें " प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(डॉ.मुरली मनोहर जोशी)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए"

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.